यह निरीक्षण आख्या खंड शिक्षा अधिकारी दुग्ड्डा कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल ,के माह 11/2012से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी दुग्ड्डा कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के अवधि की माह 11/2012 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24/12/2018 से 28/12/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है |

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**- खंड शिक्षा अधिकारी के विकास खंड मे संचालित विधालयों का निरीक्षण/ अनुश्रवण करना।वर्तमान मे खंड शिक्षा अधिकारी दुग्ड्डा पौड़ी गढ़वाल का कार्यालय कोटद्वार मे रेलवे स्टेशन से 01 कि0मी० एवं बस स्टेशन से २०० मी० कि दूरी पर स्थित हैं |

2.

(i) (अ)विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	35.49	23.09	27.07	23.09	8.42	-
2016-17	38.75	28.78	31.61	28.78	7.14	-
2017-18	0.00	72.23	0.00	69.68	-	2.55
2018-19	0.00	68.70	0.00	56.66	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है।

---------- शून्य ----------

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई की श्रेणी "सी" है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव
↓
महानिदेशक
↓
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)

↓
मुख्य शिक्षा अधिकारी
↓
खंड शिक्षा अधिकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी दुग्ड्डा कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन खंड शिक्षा अधिकारी दुग्ड्डा कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2013, 02/2014, 03/2015, 03/2016, को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1- अर्जित ब्याज की धनराशि रु. 70136/- को राजकोष में जमा न करना।

उत्तराखण्ड शासन शासनादेश संख्याः 99/XXVII(14)/2009, दिनांक 03.09.2009 द्वारा निर्देशित किया गया था कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित ब्याज की धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक-0049- ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियों, 800 अन्य प्राप्तियों, 12- अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाये।

खण्ड शिक्षा अधिकारी दुगड्डा (कोटद्वार) के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा पदनाम बैंक खाते एसबीआई 31477753100 में जमा धनराशियों पर कुल रु. 70136/- (सूची संलग्न) का ब्याज अर्जित किया गया था जो लेखापरीक्षा तिथि (12/2018) तक बैंक खाते में ही पड़ा था। उक्त शासनादेश के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (12/2018) तक उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा नहीं की गई थी। इस प्रकार अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न करना उक्त शासनादेश के विपरीत था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि धनराशि को यथाशीघ्र जमा किया जायेगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः अर्जित ब्याज की धनराशि रु. 70136/- को राजकोष में जमा न करना का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

धनराशि का विवरण

क्रमांक	दिनांक	धनराशि (रू. में)
1.	30.06.14	6775/-
2.	25.12.14	5535/-
3.	25.06.15	8300/-
4.	25.12.15	9375/-
5.	25.06.16	7370/-
6.	25.09.16	6364/-
7.	25.03.17	4450/-
8.	25.06.17	4425/-
9.	25.09.17	7075/-
10.	25.12.17	4575/-
11.	25.06.18	2575/-
12.	25.09.18	3314/-
कुल योग		**70136/-**

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी लेखापरीक्षा दल	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

<u>आभार</u>

कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में)अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी दुग्ड्डा कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) 01.06.2013 से पूर्व की रोकड़ बही
(ii) 11-C पंजिका
(iii) 2012-2013 व 2013-14 की स्टॉक पंजिका
(iv) GPF लेजर
(v) 02/2014 से पूर्व की जावक पंजिका

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |**

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्रीमति सुषमा दास	खंड शिक्षा अधिकारी	01-06-2012 से 27-01 2015
2-	श्री हीरा सिंह नेगी	खंड शिक्षा अधिकारी	28-01-2015 से 28-02-2017
3-	श्रीमति सुषमा दास	खंड शिक्षा अधिकारी	01-03-2017 से 31-08-2017
4-	श्री लखपत राज खुग्शाल	खंड शिक्षा अधिकारी	01-09-2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति खंड शिक्षा अधिकारी दुग्ड्डा कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकर(ले°प°) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.